न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस

राजस्व विविध प्रकरण सं0 78/2021 :GCMS No 2021/358

दायरा तिथि : 21.12.2021

आदेश तिथि : 10-08-2022

प्रार्थीगण :–

1. अमृतीदेवी पत्नि मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी धणी
2. हरिश पुत्र नरेश डांगी जाति मेघवाल निवासी बाली
3. उम्मेदसिंह पुत्र गुलाबसिंह राजपुत
   निवासी चामुण्डेरी तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. उम्मेदसिंह पुत्र गोर्धनसिंह जाति चारण निवासी कागडी
2. कृष्णा कंवर पत्नि उम्मेदसिंह जाति चारण
   निवासी कागडी तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक : 10-08-2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रशासन गांवो के संग अभियान, 2021 केम्प धणी में प्रार्थीगण अमृतीदेवी पम्नि मोहनलाल मेघवाल निवासी धणी वगैरा द्वारा संयुक्त हसक्षरयुक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी संख्या 01 व 02 की खातेदारी भूमि कागडी के खसरा नंबर 135/1, 135/2 एवं प्रार्थी संख्या–03 उम्मेदसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपुत निवासी चामुण्डेरी मेडतियान द्वारा धारित की जा रही सह खातेदारी भूमि ग्राम दांतीवाडा के खसरा नंबर 141 रकबा 1.62 हैक्टर किस्म नहरी अव्वल की भूमि में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं होने से अप्रार्थी उम्मेदसिंह पुत्र गोर्धनसिंह जाति चारण द्वारा सह खातेदारी में धारित की जा रही भूमि ग्राम कागडी तहसील बाली के खसरा नंबर 133 रकबा 6.08 हैक्टर किस्म चाही दोयम, जाव दायम एवं अप्रार्थी कृष्णाकंवर पत्नि उम्मेदसिंह जाति चारण द्वारा धारित की जा रही भूमि ग्राम कागडी के खसरा नंबर 134 रकबा 1.18 हैक्टर किस्म नहरी अव्वल से होते हुये प्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की खातेदारी भूमि ग्राम कागडी के खसरा नंबर 135/1 व 135/2 से होते हुये ग्राम दांतीवाडा के खसरा नंबर 141 तक प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शो में लाल रंग से दर्शित ट्रैक से निम्न वर्णन अनुसार नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया :–

नाम ग्राम	खसरा नंबर	रास्ता के लिये रकबा
कागडी	133	50X5= 250 वर्गमीटर
कागडी	134	46X5= 230 वर्गमीटर
कागडी	135/1	46X5= 230 वर्गमीटर
कागडी	135/2	40X5= 200 वर्गमीटर

प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तथा साथ ही हितबद्ध अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार बाली एवं पटवारी हल्का, धणी व पटवारी हल्का, भीटवाडा ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/ 2022/64 दिनांक 10.01.2022 से निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की:–

1.यह हैं कि ग्राम कागडी के खसरा नंबर 135/1 रकबा 1.60 हैक्टर भूमि श्रीमती अमृतीदेवी पत्नि मोहनलाल वगैरा जाति मेघवाल निवासी धणी व खसरा नंबर 135/2 रकबा 1.60 हैक्टर भूमि हरीश डांग पुत्र नरेश डांगी जाति मेगवाल निवासी बाली व प्रार्थी संख्या 03 के नाम से ग्राम दांतीवाडा के खसरा नंबर 141 रकबा 1.62 हैक्टर भूमि उम्मेदसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपुत निवासी चामुण्डेरी मेडतियान तहसील बाली के नाम से खातेदारी की दर्ज है।

2. यह हैं कि ग्राम कागडी के खसरा नंबर 135/1 व 135/2 प्रार्थी संख्या 01 व 02 की भूमि में आवेदित रास्ते की भूमि के अतिरिक्त अन्य विकल्प मौजूद नहीं है। व प्रार्थी संख्या–03 की भूमि ग्राम दांतीवाडा में आवागमन के लिए खसरा नंबर 140 किस्म गै.मु. रास्ता उपलब्ध है।

पेज लगातार.........02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण सं0 78/2021 :GCMS No 2021/358

अनवान अमृतीदेवी वगैरा बनाम उम्मेदसिंह वगैरा

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

3. प्रार्थी संख्या 01 व 02 की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज नहीं है। व प्रार्थी संख्या–03 की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु गै.मु. रास्ता उपलब्ध है।

4. यह हैं कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	133	6.06 हैक्टर	चा.दो. जा.दो.	5X50=250 वर्गमीटर	उम्मेदसिंह पुत्र गोर्धनसिंह जाति चारण निवासी कागडी 1/14 हि. उम्मेदसिंह पुत्र गोर्धनसिंह चारण 2/7 हिस्सा उम्मेदसिंह पुत्र गोर्धनसिंह चारण 1/7 हिस्सा कल्याणसिंह पुत्र गोर्धनसिंह चारण 1/28 हि0 चन्दा पत्नि अशोककुमार वगैरा 2/63 हि0
2	134	1.18 हैक्टर	नहरी अव्वल	5X46=230 वर्गमीटर	कृष्णाकंवर पत्नि उम्मेदसिंह चारण रहन बैंक आफ बडौदा शाखा फालना
3	135/1	1.60 हैक्टर	चा.दो. जा.दो.	5X46=230 वर्गमीटर	अमृतीदेवी पत्नि मोहनलाल मेघवाल निवासी धणी

5. यह हैं कि प्रस्तावित भूमि ग्राम कागडी की डी.एल.सी. दर 119790/–रूपये प्रति हैक्टर है।

6. यह हैं कि प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/ वृक्ष नहीं हैं एवं न ही अन्य कोई भी क्षति होगी।

प्रकरण में वर्णित अप्रार्थीगण उम्मेदसिंह पुत्र गोर्धनसिंह जाति चारण व अप्रार्थी कृष्णा कंवर पत्नि उम्मेदसिंह जाति चारण निवासी कागडी को नोटिस जारी किये जाने पर इनकी ओर से अधिवक्ता श्री अमृत परिहार द्वारा आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण ने खसरा नंबर 133 रकबा 6.06 हैक्टर के सह खातेदारान् मात्र उम्मेदसिंह पुत्र गोर्धनसिंह व कृष्णाकंवर कंवर पत्नि उम्मेदसिंह जाति चारण निवासी कागडी को ही पक्षकार बनाया है जबकि खसरा नंबर 133 के खातेदारान् उक्त दोनो अप्रार्थीगण के अलावा अन्य 14 व्यक्ति भी सह खातेदारान् है, जो खतौनी के सरसरी अवलोकन मात्र से स्पष्ट हैं। इस प्रकार आवश्यक पक्षकारो के असंयोजन की वजह से उक्त आवेदन अपूर्ण होने से विधिक तौर से पोषणीय नहीं है। ग्राम कागडी तहसील बाली के खसरा नंबर 134, 135, 136, 139, 143, 144, 173 के एक मात्र खातेदार मानसिंह पुत्र जोरदान चारण निवासी कागडी रहे है। खसरा नंबर 134, 135, 136 की कृषि भूमि एक ही चक में एक दुसरे से जुडती हुई है एवं उक्त खसरो में आने जाने का कदीमी से आम रास्ता ग्राम दांतीवाडा की सीमा क्षैत्र में स्थित खसरा नंबर 140 रकबा 1.16 हैक्टर किस्म गै.मु रास्ता स्थित है जो राजस्थान सरकार के खाता संख्या एक में दर्ज है। कि किसी भी खाता की भूमि जो सुगठित (Compact) एक ही चक में एक ही खाते में स्थित होने एवं उक्त भूमि में जाने का रास्ता होने पर सुगठित भूमि मेंसे किसी अन्य टुकडो में भू0भाग का बेचान हस्तान्तरण करने अथवा उत्तराधिकारियो के जोत विभाजन के तहत भाग किये जाने पर सुगठित भूमि मेंसे ही आने जाने कृषि औजार यन्त्र लाने ले जाने हेतु उसी भूमि मेंसे रास्ता का निर्धारण मुख्य रास्ता तक पहुचने हेतु किया जायेगा किसी अन्य की भूमि मेंसे नहीं। पूर्व खातेदार मानसिंह पुत्र जोरदानजी चारण के अनन्य (Exclusive) कब्जे खातेदारी की कृषि भूमि जिससे विवरण उल्लेखित है उसमेंसे खसरा नंबर 134 क्षैत्रफल 1.18 हैक्टर कृषि भूमि अप्रार्थीया कृष्णाकंवर पत्नि उम्मेदसिंह को बेचान की जिसमें आने जाने हेतु ग्राम दांतीवाडा में स्थित आम रास्ता की भूमि खसरा नंबर 140 तक पहुँचने के लिये खसरा नंबर 135, 135 के तरमीमी खसरा नंबरो मेंसे ही रास्ता हेतु आवश्यकता जनित सुखाधिकारो के तहत अधिकार प्राप्त है जिसका उपयोग उपभोग अप्रार्थीया कृष्णाकंवर करती आ रही है एवं नक्शे में रास्ता तरमीम करने व राजस्व रेकर्ड में पुख्ता करने हेतु अलग से कार्यवाही की जायेगी। ग्राम कागडी के खसरा नंबर 135 का कुल क्षैत्रफल 3.29 हैक्टर मूल रूप से रहा है एवं एकमात्र खातेदार मानसिंह पुत्र जोरदान चारण रहे हैं। उक्त खसरा में आने जाने हेतु चिरकाल से आम रास्ता की भूमि खसरा नंबर 140 की है जो ग्राम दांतीवाडा में स्थित हैं। तथा खसरा नंबर 134, 135 की भ्सूमि ग्राम कागडी की सरहद के अंतिम छोर पर स्थित है जिसके पडौस में ग्राम दांतीवाडा की भूमि खसरा नंबर 140 रास्ता की भूमि है। इस प्रकार प्रार्थीगण की भूमियो में आने जाने के लिये ग्राम दांतीवाडा के खसरा नंबर 140 गै.मु. रास्ता से मार्ग उपलब्ध होते हुये ग्राम कागडी तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 131 की भूमि गै.मु. सडक जो बाली से रानी जाती है की ओर से पहुँच के लिये सीधा मार्ग भूमियो की बाजारू किमत बढाने के उद्देश्य से चाहा है, जो प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने व अप्रार्थी पक्ष द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने से वकुलाय की बहस सुनी गई।

पेज लगातार......03

Scanned with CamScanner

//03//

राजस्व विविध प्रकरण सं0 78/2021 :GCMS No 2021/358
अनवान अमृतीदेवी वगैरा बनाम उम्मेदसिंह वगैरा
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि प्रार्थीगणो ने धारित खातेदारी भूमि ग्राम कागडी के खसरा नंबर 135/1 व 135/2 एवं दांतीवाडा के खसरा नंबर 141 की भूमियो में आवागन के लिये रास्ता उपलब्ध नहीं होने से नवीन रेकर्डेड रास्ता धारा 251(ए) के तहत अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमियो में से चाहा है। परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के अनुसार ग्राम कागडी तहसील बाली के खसरा नंबर 135 का कुल क्षैत्रफल 3.29 हैक्टर रहा है तथा इसके मूल खातेदार मानसिंह पुत्र जोरदान चारण रहे है। प्रार्थीगण संख्या 01 व 02 इस मूल खसरा नंबर 135 के खरिददार होने से खातेदार बने तथा अलग से तरमीमी नंबर 135/1 व 135/2 कायम हुये। खसरा नंबर 135 के खातेदार की भूमि में आवागमन के लिये ग्राम दांतीवाडा में स्थित खसरा नंबर 140 गै.मु. रास्ता कदीम से रहा है। धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में विधि के प्रावधानो अनुसार किसी खातेदार की कृषि जोत तक पहुँचने के लिये अन्य वैकल्पिक मार्ग अनुपलब्ध होने तथा अत्यांतिक आवश्यकता होने पर ही नया मार्ग उपलब्ध कराया जा सकता है। जबकि उक्त प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि प्रार्थीगण की भूमियो में आने जाने के लिये ग्राम दांतीवाडा स्थित भूमि खसरा नंबर 140 गै.मु. रास्ता उपलब्ध है तथा मात्र बाली– रानी मुख्य सडक ग्राम कागडी के खसरा नंबर 131 से सीधा जुडने के ईरादे से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिससे आवेदक को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे धारित खातेदारी भूमियो ग्राम कागडी के खसरा नंबर135/1, 135/2 व दांतीवाडा के खसरा नंबर 141 में आवागमन के लिये नया मार्ग उपलब्ध कराया जाना न्याय संगत नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली

कमॉक/कोर्ट(रास्ता)/2022/3250-56
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ/ सूचनार्थ प्रेषित है:–

दिनांक 10-08-22

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 खुडाला
3. पटवारी हल्का, धणी/भीटवाडा
4. आवेदक अमृतीदेवी पत्नि मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी धणी, हरिश पुत्र नरेश डांगी जाति मेघवाल निवासी बाली, उम्मेदसिंह पुत्र गुलाबसिंह राजपुत निवासी चामुण्डेरी तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान) को सूचनार्थ

उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner